गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.O.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक 1257 /4/ई0ई0 जोन–3/2019–20 दिनांक : 04/02/2020

सेवा में,

सहायक निदेशक (सिस्टम),
उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,
नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद,
लखनऊ, उ0प्र0।

विषय– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1152 ई0डब्लू0एस0 भवनों के निर्माण कार्य, आवेदन आई0डी0 नं0– ID35498 समुचित आपत्तियों का निराकरण न करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्य के सम्बन्ध में आपके पत्र सं0–1241/यू0पी0रेरा/परि0पंजी0/2019–20 दिनांक 29.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आवेदन पत्र **आई0डी0 नं0–** ID35498 की जांच तकनीकी सेल द्वारा की गयी तथा आपत्तियों को सूचित किया गया है। तत्क्रम में आपत्तियों का प्रस्तरवार निराकरण निम्नवत् है :–

1– प्रमोटर द्वारा अपलोड PAN copy, CIN/TAN copy जिस स्थिति में उपलब्ध थी उस स्थिति में अलग से नम्बर लिख कर अपलोड की जा चुकी है। PAN no. AAALG0072C, CIN/TAN no. MRTG00108D तथा बेलेंसशीट 2018–19 अपलोड है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण सरकारी संस्था है। अतः Project Launched In Past 5 years से अवमुक्त रखा जाने का अनुरोध है।

2– ले–आउट में अंकित ड्राईग में भिन्नता इसलिये है कि ले–आउट पूर्ण 1440 भवनों के लिये तैयार किया गया था जिसमें से 288 भवनों का प्रथम चरण में निर्माण किया जाना प्रस्तावित था तथा 288 भवनों का पंजीकरण रेरा में पंजीकरण सं0– UPRERAPRJ201587 से किया जा चुका है। 1152 भवनों का पंजीकरण रेरा में प्रोसेस में है। सभी फ्लोर मैप की जगह ग्राउण्ड फ्लोर मैप अपलोड किया गया है, सैंक्शन/परमिट लेटर की जगह प्राधिकरण का वर्क ऑडर अपलोड किया गया है, जो अधिशासी अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षरित है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्राधिकरण के ले–आउट की स्वीकृति उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा ले–आउट पर दी जाती है। अलग से परमिट नम्बर जारी नही किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के ले–आउट पर वैधता नही अंकित की जाती है। कार्य पूर्ण होने तक ले–आउट वैध रहता है।

3– प्रमोटर द्वारा Details of Apartment/Flat/Shop/Plot में मानचित्र के अनुसार विवरण 1440 भवनों के लिये तैयार किया गया था जिसमें से 288 भवनों का प्रथम चरण में निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। 288 भवनों का पंजीकरण रेरा में पंजीकरण सं0– UPRERAPRJ201587 से किया जा चुका है तथा शेष 1152 भवनों का पंजीकरण रेरा में प्रोसेस में है।

4– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक शासकीय संस्था है, अतः कवेयन्स डीड नही होता। क्योंकि भू–राजस्व विभाग द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर भू–अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम दर्ज है। भू–स्वामित्व है, जो कि प्राधिकरण के पूर्व में रेरा में अपलोड किये जाने के अनुसार ही है। मसूरी योजना के लिये प्रोफोर्मा ऑफ अलॉटमेंट लेटर अभी जारी नही किया गया है। इस कारण पी0एम0ए0वाई0 की समान परियोजना डासना का प्रोफोर्मा अपलोड किया गया है। इंजीनियर सर्टिफिकेट प्रस्तावित फॉर्मेट पर अपलोड कर दिया गया है। एफिडेविट फार्म–बी के फार्मेट पर अपलोड कर दिया गया है।

5– फाईनेंसियल क्वाटर्ली टारगेट सही से अपलोड कर दिया गया है।

कृपया शीघ्र यू0पी0 रेरा में पंजीकरण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी0एन0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता

45 RERA Folder RERA Letter Zone 8

Scanned by CamScanner